

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 337/2019

बलजिन्द्रसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी 6 सीडीआर सहारणी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

कलवन्त कौर पत्नी करतारसिंह जाति जटसिख निवासी 6 सीडीआर सहारणी तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि करतारसिंह के नाम से दर्ज वाके चकनं0 6 सीडीआर के खाता सं0 27/26 में कुल 1.265 है0 व चकनं0 4 सीडीआर के खाता सं0 36 में कुल 2.277 है0 में से 464 हिस्सा व चकनं0 9 सीडीआर के खाता सं0 49 में कुल .935 है0 में से 1/8 हिस्सा व चकनं0 4 सीडीआर के खाता सं0 28 में कुल 5.060 है0 मेंसे 133/2530 हिस्सा का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चकनं0 6 सीडीआर के खाता सं0 27/26, चकनं0 4 सीडीआर के खाता सं0 36, चकनं0 9 सीडीआर के खाता सं0 49 व चकनं0 4 सीडीआर के खाता सं0 28 में से करतारसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...07/10/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी